न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 166/2017 दायरा दिनांक : 01.12.2017

उनवान

1– श्री उमराव सिंह आत्मज जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुढा तहसील पचपहाड जिला झालावाड राज.

2– श्री डूंगर सिंह आत्मज जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुढा तहसील पचपहाड जिला झालावाड राज.

3– श्री विजय सिंह आत्मज जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुढा तहसील पचपहाड जिला झालावाड राज.

4– श्रीमती सम्पत बाई पत्नि जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुढा तहसील पचपहाड जिला झालावाड राज.

.... अपीलांट

बनाम

1– श्री राजेश चन्देल प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विधालय गुढा तहसील पचपहाड जिला झालावाड राज.

2– श्री शंकरसिंह आत्मज करण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरकन्या तहसील पचपहाड जिला झालावाड राज.

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड भवानीमण्डी जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री रमेश सोनी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.12.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 39/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है कि अपीलांट ने एक दावा धारा अन्तर्गत 136 एल आर एक्ट, 188 आरटीए के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अपीलांट की खातेदारी व ख.नं. 141/912 रकबा 5 बीघा आराजी पर पीढी दर पीढी कब्जा चला आ रहा है। यह आराजी पचपहाड से गुढा जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है, परन्तु विगत सेटलमेंट में जो नक्शा तैयार किया उसमें अपीलांट की आराजी की स्थिति बदलकर सडक से दूर उत्तर दिशा में दिखा दी जिसे बदलने का अधिकार सेटलमेंट को नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय करते हुए वादी का दावा खारिज कर दिया जो न्याय के विधान के विपरीत है । प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए था परंतु तकनीकी आधार पर दावा खारिज कर दिया जो प्रार्थी को न्याय से वंचित करना था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–07–2016 को अपास्त कर रिमाण्ड किया जावे व अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में केवल इस आधार पर दावा खारिज कर दिया कि ख.नं. 79/648 नक्शाशीट में अलग दर्ज न होकर मात्र खसरा नं. 79 दर्ज है। रकबा बडा है व नक्शे में पृथक से तरमीम नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय हेागा कि अधीनस्थ न्यायालय दस्तावेज व रिपोर्ट जरिये तहसीलदार तलब कर सकती थी। तरमीम कार्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेंट से पूर्व व बाद के नक्शों व रिकार्ड को न्यायहित में तलब कर तहसीलदार की मौका इत्यादि रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण पर फैसला करना चाहिए ताकि अपीलांट जो खातेदार काश्तकार है व रेस्पोडेंट जो मूल आवंटी है, दोनों का कब्जे को लेकर विवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो सके। चूंकि उपरोक्त शुद्धि का कार्य भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व विभाग का समस्त आवश्यक रिकार्ड तलब कर, उसका अध्ययन कर दस्तावेजी व अन्य साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा